कार्यालयः–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल. म0प्र0

–::: परिपत्र :::–

क्रमांकः–Q-22 **भोपाल, दिनांकः–04-04-2020**

विषय :– COVID-19 राष्ट्रव्यापी लॉक–डाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य व्यवस्था बाबत्।

संदर्भ :– I-कार्यालय का परिपत्र क्रं0–Q-5 भोपाल, दि0–25-03-2020.
II-कार्यालय का परिपत्र क्रं0–Q-8 भोपाल, दि0–27-03-2020.
III-कार्यालय का परिपत्र क्रं0–Q-18 भोपाल, दि0–01-04-2020.
IV-कार्यालय का परिपत्र क्रं0–Q-21 भोपाल, दि0–04-04-2020.

—00—

संदर्भित परिपत्र क्रं0–Q-5 के द्वारा उन्हीं अत्यावश्यक मामलों में नामित अधिकारी द्वारा सुनवाई की जानी है, जिनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पूर्वानुमति दी जा चुकी हो। अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश और प्रसारित किये जाते हैं, कि ::–

1- जमानत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुमति मांगते समय इस बात का भी उल्लेख करना होगा, कि यह कौन–सा आवेदन है अर्थात् प्रथम, द्वितीय, तृतीय——आदि।

2- यह भी उल्लेख करना होगा, कि जमानत आवेदन का आधार क्या है। यदि आधार बीमारी का है, तो उस बीमारी का नाम भी बताना होगा।

3- सुपुर्दगी आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुमति मांगते समय इस बात का भी उल्लेख करना होगा, कि किस सम्पत्ति के लिये आवेदन दिया जा रहा है और क्या सम्पत्ति शीघ्र एवं प्राकृतिक क्षयशील (Speedy and Natural decay) है?

dcourtbho@nic.in पर अनुमति हेतु E-Mail करते समय संदर्भित परिपत्रों में दी गई जानकारी/विवरण के साथ–साथ उक्तानुसार विवरण देने पर ही अनुमति हेतु विचार किया जावेगा।

sd/

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल, म0प्र0

क्रमांकः–Q-22 **भोपाल, दिनांकः–04-04-2020**

प्रतिलिपिः–

1– रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, भोपाल/तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील–बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

3– समस्त न्यायिक अधिकारीगण : भोपाल/बैरसिया की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

4– प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित्।

5– कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक

Scanned with CamScanner

कार्यवाही हेतु,

6— पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि समस्त थाना—प्रभारियों को निर्देशित् करें, कि निर्धारित समय में ही केस—डायरी व रिमाण्ड आदि प्रस्तुत किये जावें।

7— प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुविभाग जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल एवं सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित्, कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने जावें।

8— अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा—भोपाल की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत् कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित्।

9— संचालक, जन—सम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ, कि सभी दैनिक समाचार—पत्रों में उक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने का कृष्ट करें।

10— प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् की जावे एवं सभी कर्मचारियों को सूचित करना सुनिश्चित् करें।

11— जिला नाज़िर/नायब नाज़िर सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला—भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ, कि एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

4/4/2020

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
<u>भोपाल, म0प्र0</u>

Scanned with CamScanner